

12/01/22

पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त संघ द्वारा वार प्रसोसिस्वाग की प्रकृति
प्रतिमा स्थापना होने के कारण कार्यक्रम स्थगित करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
09/02/2022 को पेश की जावे।

B.O.
llf

09/02/2022

पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त संघ द्वारा कोविड-19 के
कारण कार्यक्रम स्थगित करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
28/02/2022 को पेश की जावे।

B.O.
llf

28/02/2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
अधिवक्ता वादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित लेटर
वाक-पत्र में Not-press प्रस्तुत कर वाक-पत्र में
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहिए का विवेक किया।
अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली में भंग
किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाक-पत्र में कोई
कार्यवाही नहीं चाहिए से वाक-पत्र इसी स्तर पर
रवारीज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभ्राट
लेटर नम्बर से कम है।

40 min
pleaded
Mr
28/2/22

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)